न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 170/2017 दायरा दिनांक : 18.12.2017

उनवान

1— इन्द्राबाई पुत्री स्वर्गीय परमानंद पत्नी देवीशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम बरेडा तहसील खानपुर जिला झालावाड

2— गुड्डीबाई पुत्री स्वर्गीय परमानंद पत्नी भीमराज जाति धाकड निवासी ग्राम कंवरपुरा मण्डवालान तहसील खानपुर जिला झालावाड

3— अनीताबाई पुत्री स्वर्गीय परमानंद पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड निवासी शिवाजी नगर नारेडा रोड बारां जिला बारां

4— पप्पूबाई पुत्री स्वर्गीय परमानंद पत्नी सूरजमल जाति धाकड निवासी ग्राम बमूलिया तहसील सांगोद जिला कोटा

5— सोनू पुत्री स्वर्गीय परमानंद पत्नी शिवकान्त जाति धाकड निवासी ग्राम कुराडिया तहसील सांगोद जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— पंसूरीबाई पुत्री मांगीलाल पत्नी घासीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम उमरिया तहसील खानपुर जिला झालावाड

2 सीताबाई पुत्री मांगीलाल पत्नी कंवरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम करनवास तहसील खानपुर जिला झालावाड

3— मनोज कुमार पुत्र भीमराज जाति धाकड निवासी ग्राम कंवरपुरा मण्डवालान तहसील खानपुर जिला झालावाड

4— राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा

... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री नरेन्द्र गुप्ता अपीलांट की ओर से

श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.06.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या — 5403/प्रार्थनापत्र /2017 निर्णय दिनांक 21.11.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कंवरपुरामण्डवालान तहसील खानपुर में नया खाता सख्या 218 पुराना 198 की 8 किता की 63 बीघा 19 विस्वा आराजी स्थित है। जो अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है। आराजी पुश्तैनी है। जो प्रार्थीगण के दादा मांगीलाल को अपने पूर्वजों से मिली है। आराजी के संयुक्त हिन्दू परिवार में 1976 में बाहमी बंटवारें में परमानंद के हिस्से में खसरा नम्बर 931 की 26 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1028 रकाबा 5 बीघा 9 बिस्वा कुल 32 बीघा 8 बिस्वा आराजी आयी। बाहमी बंटवारे के अनुसार मांगीलाल के पुत्र परमानंद का 2/3 हिस्सा अप्रार्थीगण 1 व 2 का 1/3 हिस्सा इन्तकाल न0 377 से दर्ज किया जाना था। अप्रार्थी

नम्बर 4 ने परमानंद का 1/3 हिस्सा दर्ज किया, जो अवैध है। वादग्रस्त आराजी के 2/3 हिस्से पर प्रार्थीगण और 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी नम्बर 3 काबिज है। अप्रार्थीगण 1 व 2 ने कभी 1/3 हिस्से पर काश्त नही की और उसे अपने भाई के पक्ष में हक त्याग करने का वचन दिया। अप्रार्थी नम्बर 3 क्रय शुदा 1/3 हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण ने विभाजन का दावा पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता का 2/3 हिस्सा है। उसमें से 1/3 हिस्से का बेचान किया है। शेष 1/3 हिस्से को प्रार्थीगण अपने हिस्से दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः अप्रार्थीगण 1 व 2 को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी का ताफैसला दावा रहन बेचान न करें। प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 21.11. 2017 से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है। सन् 1976 में आराजी का बाहमी बंटवारा कर दिया था जिसमें परमानंद का 1/2 हिस्सा था, जिस पर वे तन्हा रूप से काबिज थे। फोती इन्तकाल अवैध है। मांगीलाल के स्वर्गवास हो जाने पर वादग्रस्त आराजी पर परमानंद काबिज थे । प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संकलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में तय पाई जाती है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी पुश्तैनी थी जिसमें परमानंद का 1/2 हिस्सा व मांगीलाल का 1/2 हिस्सा था। मांगीलाल के 1/2 हिस्से में अप्रार्थीगण 1 व 2 का 1/3 हिस्सा था। इंतकाल गलत खोला गया है अप्रार्थीगण 1 व 2 ने परमानंद के पक्ष में हक त्याग का वचन दिया था। आराजी पर अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 का कब्जा नहीं है। प्रकरण के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण 1 व 2 को वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान न करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर.एल.डब्लू. 2015 (1) पृष्ठ 450 डी. एन. जे. 2006 (sc) पृष्ठ 567 उद्वरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की सुनवाई कर विधिक निर्णय पारित किया है। आराजी मांगीलाल के खाते और कब्जे की थी, जो इन्तकाल नम्बर 377 दिनांक 26.05.1992 से रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2 व मृतक परमानंद के खाते में दर्ज हुई थी। रेस्पोडेंट रिकार्डेड खातेदार है और 2/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नही है। इन्तकाल नम्बर 377 दिनांक 26.05.1992, को किसी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। आराजी को पैतृक सिद्व करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। सन् 1976 का बंटवारा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट के द्वारा अपीलांट के पिता के पक्ष में कोई हक त्याग पत्र निष्पादित नहीं किया गया है। अपीलांट के पिता अपना हिस्सा विक्रय कर चुके है। उनके द्वारा बेचान के उपरान्त अपनी मृत्यु तक कभी कोई वाद पेश नही किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाये। अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. टी. 2017 सप्लीमेन्टरी पृष्ठ 217, आर. आर. टी. 2013 (2) पृष्ठ 828, आर. आर. टी. 2015 (1) पृष्ठ 633, आर. आर. टी.

2013 (1) पृष्ठ 123, आर. बी. जे. (22) 2015 पृष्ठ 210, आर. आर. टी. 2013 (1) पृष्ठ 85, आर. आर. टी. 1998 पृष्ठ 79, आर. आर. डब्लू. एल. एम. 1988 (1) पृष्ठ 138 उद्वरत की।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर फाटोप्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2073–76 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से में अप्रार्थी नम्बर 3 और 2/3 हिस्से में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज है। फोटो प्रति नकल नामान्तरकरण संख्या 377 के अनुसार मांगीलाल की मृत्यु हो जाने पर आराजी सम्भाग से परमानंद व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की गई है। यह नामान्तरकरण सन् 1992 खोला गया था। पत्रावली पर विक्रय पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न है जो परमानदं के द्वारा अप्रार्थी नम्बर 3 के पक्ष में निष्पादित किये गये है।

अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि आराजी पैतृक है, और सन् 1976 में बाहमी बंटवारा कर लिया गया था जिसमें परमानंद को 1/2 हिस्सा मिला था परन्तु आराजी को पैतृक प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है, और न ही बाहमी बंटवारा प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश किया गया है। नामान्तरकरण सन् 1992 में खोला गया है। जिसमें रेस्पोडेंट नम्बर 1 और 2 को 1/3, 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 और 2 सन् 1992 से वादग्रस्त आराजी में सह खातेदार दर्ज है। रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट के पिता के पक्ष में कोई हक त्याग पत्र निष्पादित नही किया है। इस प्रकार अपीलांटगण अपने प्रकरण को प्रथम दृष्ट्या सिद्व नही कर पाये है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी उनके पक्ष में नहीं है। रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी में सन् 1992 से खातेदार कृषक है। खातेदार कृषक के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना हम उचित नहीं समझते है। आर. आर. टी. 2011–12 सप्लीमेंटरी पृष्ठ 217, डब्लू.

एल. एम. 1988 पृष्ठ 138 यहां चस्पा होती है। इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा